शिरूल, जुल्फकारपुर गद्दी , <mark>ब्लाक-नजीबाधाद</mark> जनपद-बिलागीए

पर्योकः प्रेरिक/ 7285-867/2004-05 - दिनाक 23-3-2005 विपार - अधासकीय उंचर प्राथितिक ज्लार (कक्षा 5 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में। पहोच्या,

ज्यर्युक्त दिव्यक सूच्य है कि वण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कपुमाप अर्थ शासनादेश रितं 217 / 15 3-92-18-एस (7) / 89 हिनांक 11-5-92 एवं <mark>शासनादेश</mark> र्स २६६१, 15-16-55-18 एस (/) , 19 दिशक 18-1-1996 में दिये गये प्राविधानों के अनुनुर्गत एवं हिंका निदेशक (बेरिक) उर्दे वेसिक शिक्षा परिषद, धुलाहायाद के पत्रांकः बे.शि.प. / सामानः - 5 / 21716 – 22019 / 96 - 9६ दिनांक 10 – 2-97 में दियें गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा ६ से ६ तक ी अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।

विद्यालय में विभाग / ७ प्र. शासन द्वारा खीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तके ही पढ़ाई जाये।

3 विद्यालय में छात्रों को हिन्दी भाष्यम से ही पदाया जाये।

अमान्य पुस्तकें न पढाई जाधे।

इ. छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। अवैधानिक शुल्क कदापि न लिया जाये।

विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्याषक ही-नियुक्त किये जाये।

7. विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं (जैसे कक्षा 9 एवं 10 आदि) का संचालन क़दीपि न किया **प**ाय ।

छ विधालय में आकृष्टिमक कुटिना से बचाव के संसाधान उपलब्ध होने आवश्यक है।

दिसामीय आदेशों एवं येकित िक्षा संहिता के नियमों का पूर्णत पालन किया जाये।

१८. भीराप्तय में सिक्षांपित भाग के थि.साम किसी का निर्णाण कराया कारी। शासनादेश में निहित आनर्ग के अंनुकार आनर्क धेवानाय में निम्नतिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होते.-

प्रधानाध्यापक एक पद सहायक अध्यापक चार पद लिपिक एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक पद

ं उक्त जनशदितं भे जिभाषा / प्रसार / क्राण्ट अध्यापक सम्भितित माने जाये। शासकीय / विभागीय आदेशों का पालंग न करने की स्थिति में भान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषदं कार्यालय का होगा।

पृ.सं.बेसिक / तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एव आवे के कार्यवाही हेतु अपित:-

1. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा बुरिषद, इलाह्मयार्थ।

2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देश्वक (बेर्सिक), द्वादश् मण्डल, मुरादाबाद।

3. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बिजनीर।

4. जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी / जिला विकली राष्ट्र Principal कल्याण अधिकारी, जनपद बिजनौर।

Woolenand Academy Kotowar Road, Najibabad

~ १ जिते-त्र ऋगार ।